☎ 01432.-288221(का)

जवाहर नवोदय विद्यालय, छान–टोंक (राज.)

निविदा–प्रपत्र

2019-2020

निविदा सूचना प्रकाशन तिथि ....

सामग्री / कार्य का नाम ....

निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि	01.07.2019 दोपहर 2.00 बजे तक

नोटः निर्धारित सुरक्षा एवं धरोहर राशि केवल डी.डी. के माध्याम से ही स्वीकार की जायेगी।

कार्यालय प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक (राजस्थान
निविदा प्रपत्र

01. सामग्री / कार्य जिसके लिए निविदा भरी जा रही है । ——————————————————————

02. निविदादाता का नाम फर्म के नाम सहित ——————————————————————

03. स्थायी पत्राचार का पता ——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

04 फोन नम्बर / मोबाईल नम्बर ——————————————————————
e-mail:

05 क्या उक्त सामग्री की आपूर्ति / कार्य करने हेतु
————————————————————
आपकी फर्म पंजीकृत है ?

06 या आपने अपने व्यवसाय से सम्बन्धित करों का————————————————————
भुगतान कर दिया है ?
(यदि हॅा तो कालम 5 व 6 के लिए प्रमाण पत्र भी सलंग्न करें ।)

07. **धरोहर राशि का विवरण** : (1) निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रुपये............................ का बैंकडी.डी. न0............................दिनॉक.....................जो कि.................................. बैंक द्वारा प्राचार्य,जनवि,छान जिला टोंक के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया है।

घोषणा

निविदा से सम्बधिंत सभी शर्ते क्र.सं. 01 से 38 जिनका उल्लेख **परिष्टिक–1** में किया गया है को मैं / हम ने भली प्रकार पढ एवं समझ लिया है और मैं / हम उन्हे बिना किसी दबाव कें स्वीकार करता हूं / करते हैं । निविदा शर्तो का पालन नहीं होने पर मेरी / हमारी निविदा अस्वीकार कर दी जाये एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाए तो मुझे / हमे कोई आपत्ति नहीं होगी। हस्ताक्षरित शर्तनामा **परिष्टिक–1** एवं निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरे सलंग्न है ।

दिनांकः– निविदादाता के हस्ताक्षर
नामः–....................................
स्थान :– मोहर सहित

परिशिष्ट–1

जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक (राजस्थान)

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

01. सलग्न सूची के अनुसार सामग्री की आपूर्ति/सेवाओं हेतु मोहरबन्द निविदाऐ संलग्न प्रारूप के अनुसार अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक के लिए **दिनांक 01.07.2019 समय 2.00** बजे तक आमन्त्रित की जाती है।

02. निविदा लिफाफे पर जिस सामान के लिए निविदा भरी गई है का उल्लेख किया जाना चाहिए। ***जैसे खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा, निविदाऐ*** **प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, छान जिला टोंक को भेजी जानी चाहिए है।**

03. निविदाऐ प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय,छान जिला टोंक में प्राचार्य कक्ष अथवा निर्धारित स्थान मे **01.07.2019** को दोपहर **3.30** बजे खोली जायेगी ।

04. निविदाऐं, निविदा फार्म की शर्तो, जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को फार्म की शर्तो की सहमति पर हस्ताक्षर अंकित करने अनिवार्य है।

05. निविदा में दर्शाई गई दरें सभी करों जैसेः– ब्रिकी कर,उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों सहित होनी चाहिए तथा एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय,छान परिसर में होना चाहिए ।

06. निविदा फार्म साफ सुथरा पैन द्वारा या टाइप द्वारा भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की काट–छाट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का परिर्वतन/संसोधन करना हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिर्वतन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। निविदाकर्ता के हस्ताक्षर के अभाव मे निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

07. अद्योहस्ताक्षरकर्ता किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है तथा न्यूनतम दर देने वाले निविदा दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है व किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये रद्व कर सकता है ।

08. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध होता है तथा स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तो के अनुरूप कार्य करेगा ।

10. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि(अरनेस्टमनी–संलग्न सूची के अनुसार) प्रत्येक मद के लिए अलग–अलग बैंक डाफ्ट द्वारा भेजी जानी/जमा करानी हागी धरोहर राशी के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । **बैक डाफ्ट UBI टोंक/अन्य बैंक जिसका भुगतान टोंक में देय हो, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय,छान के नाम देय होना चाहिए** । किसी भी फर्म की पूर्व वित्तिय वर्ष की विद्यालय के पास जमा धरोहर राशि इस वर्ष की धरोहर राशि के रूप में किसी भी दशा में समायोजित नहीं की जायेगी । जिन निविदादाताओं की निविदाए स्वीकार नहीं होगी उन्हें अरनेस्टमनी निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर बिना ब्याज के चैक/डी.डी. द्वारा लोटा दी जायेगी । निविदा स्वीकृत होने पर धरोहर राशि की शेष राशि जमा करानी होगी।

11. कोई भी सरकारी संस्था यदि निविदा में आवेदन करना चाहती है तो वो अपने सरकारी संस्था होने का प्रमाण पत्र साथ मे संलग्न करें । इस सम्बन्ध में सरकारी संस्था को धरोहर राशि व सुरक्षा राशि से मुक्त रखने का निर्णय अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति का होगा । जिन निवदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जायेगी उन्हें सलंग्न प्रपत्र के अनुसार सुरक्षित राशि के रूप मे जमा कराना होगा तथा शेष राशि अनुबन्ध करार के समय जमा करानी होगी । सुरक्षित राशि मासिक/वार्षिक आपुर्ति का 10 प्रतिशत होगी ।

12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबन्ध समाप्ति की तिथि से अगले छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोका जायेगा ताकि अगर आपूर्ति माल में कोई त्रुटि पाई जावे तो उसका निपटारा सुरक्षित जमा राशि से किया जा सकें ।

13. निविदा देने वाले व्यक्ति, जिसकी निविदा स्वीकृत की गई है, को आदेश देने की तारीख में लिखि गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को माल की आपूर्ति करना होगा।आपूर्ति में निर्धारित आपूर्ति तिथि से 10 दिवस से अधिक की देरी होने पर आपूर्ति की कुल लागत का 5 प्रतिशत बतौर दण्ड कटौती की जा सकती है। यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल की आपुर्ति करनें में असफल रहता है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति किसी अन्य व्यक्ति/ फर्म को देकर अनुबन्ध पूरा करवा ले । इस सम्बन्ध मे अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि एवॅ बकाया भुगतान से की जायेगी । यदि इस सम्बन्ध मे अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षा राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान राशि के भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुबन्धदाता की होगी । स्वीकृत ठेकेदार यदि सामग्री आपूर्ति मे असफल/असमर्थ रहता है तो सुरक्षित (Security money) राशि जब्त करली जायेगी तथा सम्बन्धित निविदादाता को ब्लेक लिस्टेड घोषित किया जा सकता है ।

14. निविदा में दिखलाई गई मात्रा अनुमानित है जिसे अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा सम्बन्धित विभागों की आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढाया जा सकता है ।

14 निविदा फार्म मे जिस सामान के लिए नमूना मांगा जायेगा, के सम्बन्ध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ मे लगाना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निविदा स्वीकृति के बाद भी सामान का नमूना मागंने का अधिकार होगा तथा ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें एवं किसी सामान के मशीन होने की स्थिति में उसको चला कर दिखाया जायेगा एंव केटलोग प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

15 वितरण की गई सभी वस्तुओं ,उनके लिए निधार्रित विशेष विवरणों, मापदण्डों, ट्रेडमार्क के अनुसार अनुमोदित स्टेण्डर्ड या अनुमोदित सप्लाई न हो, तो इस हालात में वितरण की सामग्री बहुत ही अच्छी किस्म की होगी । सामान की किस्म के बारे में स्वीकृति प्रदान करने का अन्तिम निर्णय प्राचार्य/विद्यालय स्तरीय कमेटी को प्रस्तुत नमूने के आधार पर होगा तथा वह निविदा देने वाले को मान्य होगा ।

16 सामान की आपूर्ति की जाचॅ अद्योहस्ताक्ष्रकर्ता द्वारा उनके अधिकृत प्रतिनिध/कमेटी द्वारा की जायेगी।अगर आपूर्ति सामान स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं होगा या निर्धारित निर्दिष्टकरण Prescribed (Specification) के अनुसार नही होगा तो आपूर्ति को रद्व किया जा सकता है

17 निविदा केवल उन्हीं फर्मो/व्यापारियो द्वारा दिये जाने चाहिए जो या तो उन वस्तुओ/सामानों/मशीनों आदि के लिए रजिस्टर्ड या अनुमोदित वितरक/ थोक विक्रेता हो या उनके द्वारा दिये जाने चाहिए जो वास्तव में सामान को बेचता हो जिसके लिये उन्होनें निविदा दिया है । इस सम्बम्घ मे अनुमोदित ठेकेदार अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को स्थानान्तरित नहीं करेगा ।

18 निविदा देने वाला व्यक्ति माल को ठीक तरह से पैक करने के लिये जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल एवं सडक या वायुयान द्वारा साधारण दशा मे भेजते समय नुकसान नही हो तथा माल अच्छी दशा मे नियत स्थान पर प्राप्त किया जा सके । किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या लीक होने या अन्य कमी की घटना मे निविदा देने वाले को माल प्राप्तकर्ता द्वारा माल का निरीक्षण करने में जो भी इस प्रकार की हानि पाई जायेगी उसे पूरा करना होगा ।

19 फर्म को भुगतान बैक ड्राफ्ट द्वारा डी.डी. कमीशन काटकर या टोंक में स्थित बैंक के रेखांकित चैंक द्वारा ही किया जायेगा ।

20 विवादास्पद आइटमों के मामलों में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आइटमों का निपटारा होनें पर उनके परिणाम के अनुसार भुगतान पारित किया जायेगा। अनुबन्ध में की गई शर्तो के अनुसार यदि उस पर सहमति हो तो तदनुसार भुगतान किया जायेगा ।

21 स्वीकृत निविदा दरों के बाजार मूल्यों में यदि अप्रत्याशित कमी आती है तो विद्यालय सम्बन्धित सामग्री की कय के लिए बाध्य नहीं होगा और अपनी आवश्यकतानुसार वांछित सामग्री की कय कयसलाहकार समिति के अनुमोदन पर खुले बाजार/अधिकृत विकेता/सरकारी संस्था से कर सकता है ।

22 किसी भी सामग्री की आपूर्ति के समय उत्पादको के द्वारा जारी छूट/स्कीम आदि का लाभ विद्यालय को देय होगा । ऐसी किसी भी छूट/स्कीम का सुस्पष्ट उल्लेख निविदादाता द्वारा विपत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।

23 निविदादाता को सामग्री आपूर्ति के समय चालान/बिल भिजवाना अनिवार्य है । बिना चालान/बिल के आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा ।

24 कय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा व टेण्डर की शर्तो आदि इस कार्यालय से प्राप्त कर सकता है, इन्हे प्रत्येक निविदादाता अपनी निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता है । यदि उसे इन शर्तो या विशेष विवरणो या ड्राइंग आदि के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को सन्दर्भित करेगा तथा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करे ।

25 निविदा फार्म व धरोहर राशि जमा करने का समय, विद्यालय द्वारा निर्धारित समय तक ही होगा जो विद्यालय की धडी के अनुसार निश्चित होगा । इस बारे में कोई आपत्ति नही सुनी जायेगी ।

26 इन सामान्य शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा कय की जाने वाले सामान की सूची इस निविदा फार्म के साथ सलंग्न है।**निविदादाता अपनी दरें सलग्नं निविदा प्रपत्र में ही भरे ।**

27 अपनी निविदा सीड्ल बन्द लिफाफे मे दे लिफाफे पर सामग्री निविदा का नाम, खोलने की तिथि आदि का उल्लेख करें ।

28 खाद्य सामग्री/अन्य कोई खराब होने वाली सामग्री विद्यालय ग्रीष्मावकाश/अन्य अवकाश के समय यदि शेष बचती है तो सम्बन्धित निविदादाता का यह दायित्व होगा कि उस सामग्री को वस्तुविनिमय के आधार पर विद्यालय यदि चाहे तो वापस लेना होगा और अवकाश के पश्चात् विद्यालय का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित सामग्री पुनःप्राप्त करे एवं तद्नुसार भण्डार पंजिका में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है ।

29 अगर निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा ।

30 नियामानुसार आयकर (T.D.S.) कटौति की जावेगी । यह कटोती आयकर नियमानुसार होगी

31 निविदा की दरे **30 अप्रेल 2020** तक के लिए मान्य/वैध होगी ।

32 आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र,पैन नम्बर व जीएसटी/टन नम्बर की स्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे ।

33 जहॉ लागू हो, जीएसटी/टिन/बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।

34 फर्म के बैंक खाते का नम्बर, आई एफ सी एस कोड व आर टी जी एस नम्बर निविदा के साथ सत्यापित प्रति सलग्न करे।।

35 जमा धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधनो एवॅ शर्तो के उल्लधन पर जब्त किये जाने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

36 सभी प्रकार की खाद्य सामग्री इत्यादि के लिए Govt. of India Food Safety and Standards Act, 2006 के अनुसार आपकी फर्म के पास सम्बन्धित खाद्य सामग्री बेचना के लिए केन्द्र/राज्य सरकार से जारी अनुज्ञा प्रमाण पत्र होना अनिर्वाय है। छॉया प्रति संलग्न करें।

37 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

38 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र टोंक होगा ।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय छान ,टोंक

निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त शर्ते 1 से 38 तक मुझे/हमे मान्य है ।

दिनांकः.................................
स्थान......................................

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम व सील

नोटः– निविदा की शर्त परिशिष्ट–1 के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य है।